कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्याः-3214/1जी-FP/UK/ROAD/9480/2015 देहरादूनः दिनांकः28 अप्रैल, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः- जनपद नैनीताल में बगड़वार बैण्ड से दूनी (विरसिंग्या) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु-3.78 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक-3209 दिनांक 27-04-2016 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। **(प्रति संलग्न)** अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी-FP/UK/ROAD/9480/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
3. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमॉऊ वृत्त, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
6. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली, नैनीताल।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)
परियोजना का नामः जनपद नैनीताल में बगड़वार बैण्ड से दूनी (विरसिंग्या) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु–3.78 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु नैनीताल वन प्रभाग में 3.50 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.279 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 3.78 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है। प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि परियोजना हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल तथा वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0लेप्चा भा.व.से.)
प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड,
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहरः
तिथि : 28/04/2016
स्थान : देहरादून

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक–3209 /FP/UK/ROAD/9480/2015 :देहरादून:दिनांक: 27 अप्रैल, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय–एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बगडवार बैण्ड से दूनी (बिरसिंग्या) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.78 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार की पत्र संख्या–Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06–11–2015.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की हार्ड कॉपी उपलब्ध करायें जाने के निर्देश दिये गये है। भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :–3209 /FP/UK/ROAD/9480/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी